>

Title: Need to undertake mandatory audit of Production Sharing Contracts under New Exploration Licensing Policy by C & AG.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित नई अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के पूर्व 90 ब्लॉकों के अन्वेषण हेतु उत्पादन हिस्सेदारी समझौते (पीएससी) किए गए थे।

समझौतों हेतु नई नीलामी के ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (मिनिमम वर्क प्रोग्राम) के अंतर्गत अन्वेषण हेतु होने वाला व्यय कुल 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब तक ठेकेदारों द्वारा इन 90 ब्लॉकों के अन्वेषण के कार्य हेतु 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यय किया गया है।

ज्ञातव्य रहे कि इन ब्लॉकों के विकास एवं उत्पादन हेतु अब तक 8.1 अमेरिकी डॉलर का व्यय किया जा चुका है और अब तक कुल 6 खोजे गए स्थलों से उत्पादन प्रारंभ हो रहा है।

3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करार के सापेक्ष 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यय की विशद ऑडिट किए जाने की आवश्यकता है।

उत्पादन हिस्सेदारी समझौतों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किए जाने की अनिवार्यता के अभाव में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसी राष्ट्रीय संपदा का दोहन बड़े पैमाने पर हो रहा है।

अतः मेरी मांग है कि नई अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति के अंतर्गत उत्पादन हिस्सेदारी समझौते के ऑडिट हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण अनिवार्य बनाया जाए ताकि पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसी राष्ट्रीय संपदा के दोहन पर प्रभावी रोक लग सके।